कार्यालय–अधिशासी अभियंता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–सप्तम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान पटेल नगर-II गाजियाबाद
CIN: U31200UP2003SGC027458
फोन नं0-0120 – 2850031 फैक्स नं0 – 0120–2850036

Office of the Executive Engineer
Electricity Urban Distribution Division - VII
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
33/11 KV Sub Station Patel Nagar-II
Email ID –eeuddd7gzb@gmail.com, Ghaziabad.
Phone no. 0120-2850031 FAX no. 0120-2850036

पत्रांक 2925 / विनखं0 सप्तम / गाजियाबाद

दिनांक 13/07/2017

विषय :– ग्राम मोरटा पर खसरा सं0– 1022 पर मै0 डी0 एस0 एल0 आवासीय एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत ले–आउट मानचित्र पर आपत्ति / अनापत्ति के संबंध में।

नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद

कृपया [illegible] पत्रांक [illegible] दिनांक 13.07.2017 का [illegible] पत्रांक 2377 दिनांक 12.06.2017 के द्वारा [illegible] 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तथा 01 नग 220 के0वी0 [illegible] उपकेन्द्र निर्मित करने [illegible] किन्तु [illegible] आपके [illegible] 13.07.2017 [illegible] निरीक्षण कराया गया।

[illegible] द्वारा निर्गत किया जायेगा।

यदि उपरोक्तानुसार [illegible] 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 01 नग 220 के0वी0 [illegible] उपकेन्द्र [illegible] सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति [illegible] इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 [illegible] प्रावधानों के अनुरूप [illegible] विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।

[illegible] निर्माण [illegible] कोई आपत्ति नहीं [illegible]

सिद्धार्थ मिश्रा
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक .... / विनखं0वि0ख0–सप्तम / गाजियाबाद

दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मै0 डी0 एस0 एल0 डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को सूचनार्थ प्रेषित है।

सिद्धार्थ मिश्रा
अधिशासी अभियन्ता

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 1081 /सम्पत्ति/2017-18 दिनांक:- 26/7/17

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय:- खसरा नम्बर-1022 ग्राम मोरटा पर मै0 वी.एक्स.एल. डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-170/मा0 प्लान/जोन-1/17 दिनांक 13.07.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि खसरा नम्बर-1022 ग्राम मोरटा के मध्य गाजियाबाद नगर निगम की सम्पत्ति नही है।

भवदीय

26/7/17

संयुक्त नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

Scanned by CamScanner

electricity

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

दिनाँक 13-7-17

पत्रांक : 169 M.P./17

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
उ० प्र० पावर कार्पो० लि०
गाजियाबाद।

विषयः खसरा सं॰–1022 ग्राम मोरटा पर मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ द्वारा प्रस्तुत ले–आउट मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त स्थल पर खसरा सं॰–1022 ग्राम मोरटा पर मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ द्वारा प्रस्तुत ले–आउट मानचित्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर कुल आंकलित मांग (किलोवाट/मेगावाट) के परिपेक्ष्य में अपने विभाग की अनापत्ति/आपत्ति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

नगर नियोजक
गा॰ वि॰ प्रा॰

पृष्ठांकन : 169 M.P./17

दिनाँक 13-7-17

प्रतिलिपिः–

1. मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰, को इस आशय से कि अधिशासी अभियन्ता, पावर कार्पोरेशन लि० से सम्पर्क स्थापित कर स्थल निरीक्षण कराने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

नगर नियोजक

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं॰ (17) /मा॰प्लान/जोन–1/17 दिनाँकः 13-7-17

सेवा में,

तहसीलदार
तहसील (सदर),
गाजियाबाद।

विषयः खसरा सं॰–1022 ग्राम मोरटा पर मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ द्वारा प्रस्तुत ले–आउट मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया खसरा सं॰–1022 ग्राम मोरटा पर मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ द्वारा प्रस्तुत ले–आउट का मानचित्र स्वीकृतार्थ जमा किया गया है जिसके साईट प्लान की एक प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है। प्रश्नगत भूखण्ड के मध्य अथवा संलग्न ग्राम समाज/सरकारी भूमि के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नगर नियोजक
गा॰ वि॰ प्रा॰

पृष्ठांकनः /मा॰प्लान/जोन–1/17 दिनाँकः

प्रतिलिपि :–

1. मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ को इस आशय से कि स्थल निरीक्षण करवाने में सम्बन्धित विभाग को सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

नगर नियोजक

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

दिनाँक............

पत्र सं..........

सेवा में,

डायरेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट
डा॰ भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर
विनित खण्ड–1, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

विषयः खसरा सं॰–1022 ग्राम मोरटा पर मै॰ वी॰एक्स॰एल॰ डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा॰लि॰ द्वारा प्रस्तुत ले–आउट मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त स्थल पर ले–आउट मानचित्र की स्वीकृति हेतु मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। कृपया उपरोक्त स्थल पर प्रस्तावित विकास/निर्माण के परिप्रेक्ष्य में अपने विभाग की आपत्ति/अनापत्ति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार साइट प्लान की दो प्रतियाँ।

भवदीय

नगर नियोजक
गा॰ वि॰ प्रा॰

पृष्ठांकन सं....1682 T.M.P /17   दिनाँक....13-7-17....

प्रतिलिपि :–

1. मानचित्र आवेदक को इस आशय के साथ कि उपरोक्त उल्लिखित विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर वांछित सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

नगर नियोजक

Scanned by CamScanner

N/OC

गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांकः- 1081 /सम्पत्ति/2017-18 दिनांकः- 26/7/17

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः- खसरा नम्बर-1022 ग्राम मोरटा पर मै0 वी.एक्स.एल. डवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-170/मा0 प्लान/जोन-1/17 दिनांक 13.07.2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि खसरा नम्बर-1022 ग्राम मोरटा के मध्य गाजियाबाद नगर निगम की सम्पत्ति नही है।

भवदीय
26/7/17
संयुक्त नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

http://164.100.230.206/bhulekh/app/tehsil

Scanned by CamScanner

कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक : 115 162/ले–आउट/जोन–1/17 दिनाँक : 22/9/17

मै. वी.एक्स.एल. डवलपर्स एण्ड इन्फा. प्रा.लि.
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री कान्ती प्रसाद गुप्ता
आर–6/15, राजनगर,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनाँक 22.06.17 के संदर्भ में खसरा सं.–1022 ग्राम मोरटा, गाजियाबाद पर प्रस्तावित मानचित्र सं.–162/जोन–1/ले–आउट/17 तलपट मानचित्र में सृजित 1 से 35 भूखण्डों पर भवन आवासीय निर्माण हेतु मानक मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनाँक 29.08.17 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसके शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नही किया जायेगा।
6. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
8. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
9. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
10. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रति हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचरना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
17. निर्धारित 24.0 मी. मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री [illegible] निर्माण रोड [illegible] की भूमि के बाद किया जायेगा।
18. [illegible] होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा [illegible] भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
19. [illegible] होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।
20. [illegible] पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
21. भू–गर्भ जल [illegible] विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
22. अधिष्ठान [illegible] में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
23. निर्माणाधीन अवधि [illegible] से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग [illegible] में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
24. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
25. अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

पत्रांक : /मा.प्लान/ दिनाँक /
प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन–1 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक

Scanned by CamScanner